RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

श्रमिकों के पलायन के कारण एवं प्रभाव का अध्ययन : झारखंड़ राज्य के विशेष संदर्भ में

भारती रानी बेसरा

(शोधार्थी), विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (झारखंड़)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 25 May 2019

Keywords
श्रमिक पलायन, आय, व्यय, बचत, I.

ABSTRACT

पलायन में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को अल्पकालिक, दीर्घकालिक, या मौसमी रूप में गमन करते हैं। पलायन के कई उद्देश्य होते हैं जैसे शिक्षा के लिए, आजीविका के लिए, शादी विवाह के लिए, या फिर महामारी, दंगा, आदि के कारण भी लोग पलायन करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में झारखंड से पलायन करनेवाले श्रमिकों की प्रकृति, कारण एवं पलायन के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। झारखंड़ में पलायन करनेवालों में अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए पलायन करते हैं। पलायन से लोगों की आर्थिक व सामाजिक कल्याण का स्तर बढ़ा है। लोगों की आय, व्यय, एवं बचत का स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। हलांकि तेज गति से पलायन होने से कई प्रकार की विसंगतियां भी उत्पन्न हो रहीं है। पलायन को कम करने के लिए कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास कर पलायन को रोका जा सकता है।

1. प्रस्तावना :–

पलायन में लोग एक स्थान से दूसरें किसी अन्य स्थानों की ओर गमन करते है। यह अधिक या कम दूरी की हो सकती है। वही समय के लिहाज से देखा जाय तो यह अल्पकालिक या दीर्घकालिक या फिर मौसमी पलायन भी हो सकता है। कोई शिक्षा के लिए तो कोई अपनी आजीविका के लिए तो कोई महामारी , बाढ़ के कारण तो कोई अन्य कारणों से भी पलायन को मजबूर हो जाते है। तो कोई अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए भी पलायन को स्वीकार करते है। पलायन मानव के आरंभिक समय से ही ऐतिहासिक अंग रहा है। भारत के अविकसित क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन एक सामान्य प्रक्रिया है। कृषि श्रमिकों का खेती के काम समाप्त होते ही शहरों की ओर नवीन कार्य के लिए या किसी अन्य वैकल्पिक कार्य की खोज में शहरों की ओर गमन करते हैं। विश्व पलायन रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक पलयान में पिछले कई दशकों में तेजी आई है। 1970 में संपूर्ण विश्व में 84 मिलियन लोगों का पलयान हुआ जो 2000 ई0 और 2019 ई0 में बढ़कर क्रमशः 150 मिलियन और 272 मिलियन हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार यह पलायन 2000 ई0 में कुल वैश्विक जनसंख्या का 2.8 प्रतिशत था जो कि 2019 ई0 में बढ़कर कुल वैश्विक आबादी का 3.5 प्रतिशत हो गया है। महिला प्रवासियों की बात करें तो कुल पलायन करने वाले लोगों में 47.9 प्रतिशत महिलाएं है। कुल वैश्विक पलायन में 16 प्रतिशत बच्चों की संख्या है। वैश्विक पलायन रिपोर्ट 2020 के अनुसार कुल पलायन करने वालों में से 74 प्रतिशत आबादी 20-64 आयु वर्ग के लोग है। भारत में 2001 और 2011 के बीच 5 मिलियन कामगार जो कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत वार्षिक दर से लोग पलायन कर रहे है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 45.36 करोड़ लोग पलायन करते है जो भारत की कुल आबादी का 37 प्रतिशत है। भारत में काम के लिए 37.6, व्यापार व वाणिज्य के लिए 0.5 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 2.7 प्रतिशत, शादी विवाह के लिए 13.8 प्रतिशत लोग पलायन करते हैं। वहीं झारखंड़ में धनबाद, लोहरदग्गा, गुमला, से 90,000 लोग प्रतिवर्ष हावड़ा के लिए पलायन करते हैं जो कि झारखंड से कुल पलायन का 15 प्रतिशत है। यह पूर्वी भारत में पलायन का सबसे बड़ा केंद्र है। वहीं 2000-2011 के दौरान महिला कामगारों के पलायन की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है। झारखंड़ में सबसे अधिक माइग्रेशन घनबाद, लोहरदग्गा, गुमला से होती है। झारखंड़ में पलायन के कई पहलू हो सकते हैं जिनमें आजीविका के लिए पलायन करना, बच्चों की शिक्षा के लिए पलायन करना, दंगा, महामारी, बाढ आदि के कारण भी लोग पलायन को मजबूर होते हैं। अतः झारखंड में पलायन की स्थिति की जानकारी का होना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में झारखंड में पलायन के कारणों का पता लगाना, पलाययन की प्रकृति का पता लगाना, पलायन यदि किसी मजबूरी बस किया जा रहा है तो उसके लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करना भी इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

2. साहित्यिक अवलोकन :–

सिंहा एवं मिश्रा (2012) : ने अपने अध्ययन में पाया कि कृषि क्षेत्र में झारखंड एक अविकसित राज्य है। यहां की कृषि प्रमुख रूप से वर्षा की जल पर निर्भर करती है। इसलिए कृषि उत्पादन क्षेत्र का एक बड़े हिस्सों में वर्ष में केवल एक ही फसल का उत्पादन होता है। यहाँ के सीमांत किसान एवं भूमिहीन मजदूर एक वित्तीय वर्ष में सात से आठ महीने बेकार हो जाते है। रांची क्षेत्र में ये लोग ईंट के भट्ठों पर काम करना अधिक पसंद करते है।

कुमार एवं भगत(2012) : बिहार में पलायन के पैटर्न पर अध्ययन किया। इसमें वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विगत दो दशकों में बिहार से शहरों की ओर खासकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों को पलायन करते है। इस अध्ययन में यह

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पाया गया कि पलायन का इन लोगों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। इनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है, स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए वित्तीय मदद मिलती है।

टुडु एवं माईकल(2018) : ने अपने अध्ययन में पाया कि बहुत से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पलायन करना और भारत के किसी भी हिस्से में आजीविका के लिए अर्जन करना एक अवसर है। कुछ लोगों के लिए पलायन व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है। लेकिन पलयन लोगों की मजबूरी भी है। अतः नीति निर्धारकों को ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक व औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे और पलायन को रोकने में मदद करे।

राय(2016) : ने अपने अध्ययन में पाया कि 1891 के दौरान संथाल जनाजाति पश्चिम बंगाल के जलपाईगुरी में चाय बगान में काम करने के लिए पलायन किए थे। लेकिन अब वे लोग वहीं नई जलपाईगुरी में भवन और मकान लेकर अच्छी तरह से समायोजित कर लिए हैं। संथाल मजदर जो पलायन कर लिए हैं वे लोग अब अपनी भाषा, पहचान और संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं।

मिश्रा(2007) : ने अपने अध्ययन में पाया कि संथाल जनजातियां जो 1830-1920 के ब्रिटिश साशन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के असम चाय बगान में मजदूरों के रूप में पलायन कर गए थें वे अब चाय अनूसूचित के नाम से जाने जाते हैं।यह पाया गया कि अब वे लोग चाय बगान के मालिकों द्वारा शोषित महसूस कर रहे हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

3. अध्ययन का उद्देश्य :

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य झारखंड़ में पलायन की स्थिति का पता लगाना, पलायन के मुख्य कारणों का पता लगाना, पलायन की समस्याओं तथा इसके दूर करने के लिए मुख्य सुझाव देना आदि शामिल है।

4. शोध प्रविधि :

यह अध्ययन 100 प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। यह प्राथमिक आंकड़ा झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों (दुमका, जसीडीह, रांची, धनबाद, जामताड़ा आदि), बस अड्डों(जसीडीह, रांची, जामताड़ा, दुमका आदि) पर पलायन कर रहे लोगों से याद्च्छिक विधि से एकत्रित किए गए हैं। बेहतर और आसानी से आंकड़ों के विश्लेषण को समझने लिए टेबल, चार्ट और प्रतिशत प्रणाली का उपयोग किया गया है।

5. आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन :

आंकड़ों का एकत्रीकरण झारखंड के 100 पलायन करने वाले लोगों से एकत्रित किया गया है जिसमें उसके सामाजिक–आर्थिक कारकों जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, पलायन की अवधि, आय, व्यय आदि के बारे में साक्षात्कार विधि के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत और चार्ट का प्रयोग निम्न प्रकार से किया गया है:–

A. आयु आधारित वर्गीकरण :

पलायन के लिए आयु वर्ग एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि पलायन करने वाले परिवार द्वारा पलायन करने के लिए आयु वर्ग का निर्धारण करता है। झारखं से पलायन करनेवालों की आयु का विवरण निम्नलिखित तालिका–01 में दिया गया है–

तालिका–01

क्रम संख्या	आयुवर्ग	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	20 वर्षतक	14	14%
2	21-35वर्ष	41	41%
3	36-50वर्ष	32	32%
4	50 वर्ष से अधिक	13	13%
	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–01

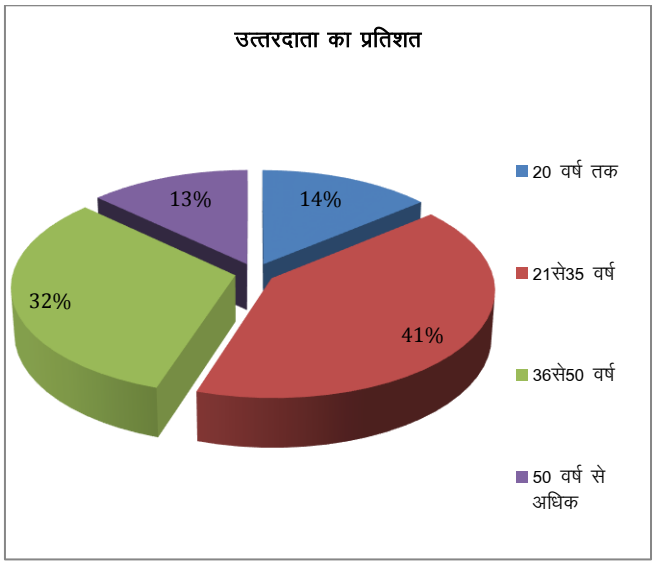

तालिका–1 एवं चार्ट–1 में पलायन करनेवाले उत्तरदाता की आयु का विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पलायन करनेवालों में से 14 प्रतिशत उत्तरदाता 20 वर्ष तक आयु वर्ग के हैं। 41 प्रतिशत उत्तरदता 21 से 35 आयु वर्ग के हैं। वहीं 36 से 50 आयु वर्ग के 32 प्रतिशत उत्तरदाता है। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 13 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

अध्ययन में यह पाया गया कि 21 से 50 आयु वर्ग के 73 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

B. शिक्षा :

शिक्षा मानव के संपूर्ण जीवन, समाज व देश की विभिन्न आर्थिक व गैर आर्थिक क्रिया को प्रभावित करती है। यह एक ऐसा चर है जो आर्थिक व समाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नलिखित है–

तालिका–02

क्रम संख्या	शिक्षा	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	निरक्षर	21	21%

RRIJM 2015, All Rights Reserved

2	1-5	34	34%
3	6-10	23	23%
4	11^{th}-12^{th}	13	13%
5	स्नातक, डिप्लोमा एवं अन्य उच्चडिग्री	09	09%
	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–02

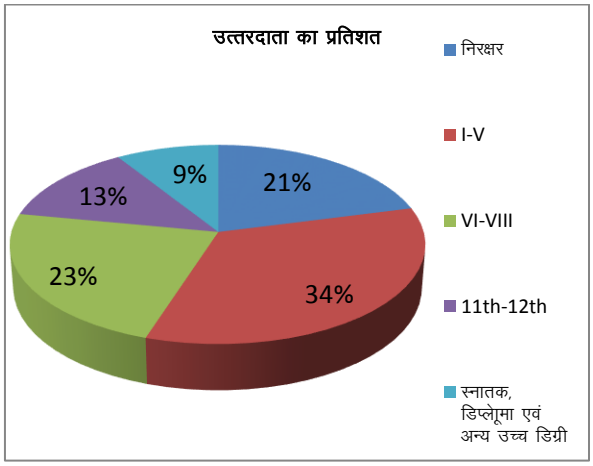

उपर्युक्त विश्लेषण(तालिका–02 एवं चार्ट–02) से यह स्पष्ट है कि कुल पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं में से 21 प्रतिशत निरक्षर, 34 प्रतिशत 5वीं कक्षा तक, 23 प्रतिशत 10वीं कक्षा तक, 13 प्रतिशत उत्तरदाता 12 वीं कक्षा तक तथा 09 प्रतिशत स्नातक व अन्य उच्च डिग्री तक की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

अध्ययन में यह पाया गया है कि पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं में से 78 प्रतिशत उत्तरदाता 10वीं से कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

C. लिंग :

लिंग एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय कारक है जो समाज की विभिन्न सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, व सांस्कृतिक कारकों आदि को प्रभावित करती है। अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता का लिंग आधारित वर्गीकरण निम्न प्रकार से चित्र–03 में किया गया है–

तालिका–03

क्रम संख्या	लिंग	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	पुरूष	63	63%
2	महिला	37	37%
	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–03

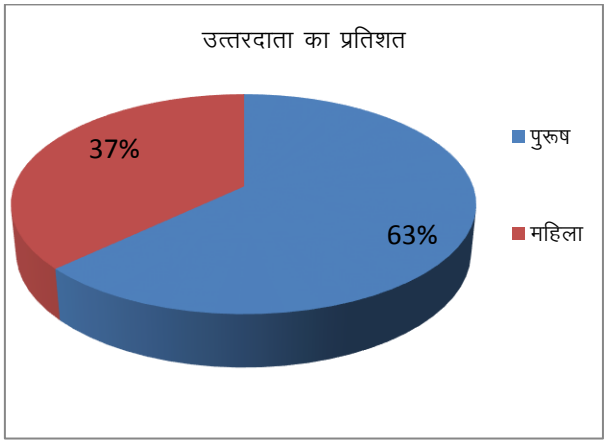

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कुल पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं में 63 पुरूष तथा 37 प्रतिशत महिला उत्तरदाता हैं।

अध्ययन में पाया गया है कि कुल पलायन करनेवालों में से अधिकांश 63 प्रतिशत पुरूष हैं।

D. वैवाहिक स्थिति :

विवाह पारंपरिक भारतीय समाज में एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अतः इस अर्थ में पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करने में आर्थिक पक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः तालिका–04 में उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण निम्नलिखित हैं–

तालिका–04

क्रमसंख्या	वैवाहिकस्थिति	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	विवाहित	57	57%
2	अविवाहित	43	43%
	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–04

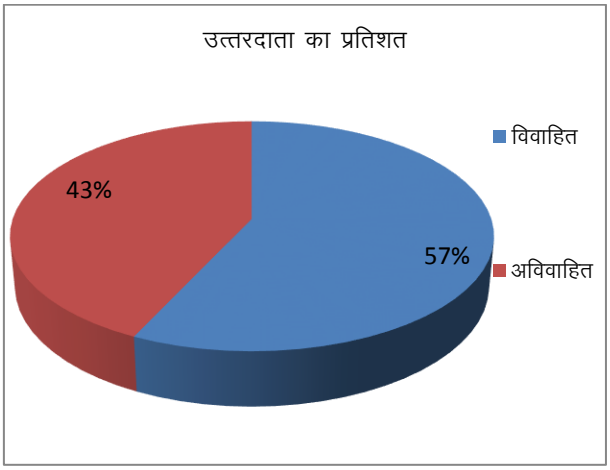

RRIJM 2015, All Rights Reserved

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कुल पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं में 57 प्रतिशत विवाहित तथा 43 प्रतिशत अविवाहित उत्तरदाता हैं।
अध्ययन में पाया गया है कि कुल पलायन करनेवालों में से अधिकांश 57 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं।

E. पलायन की अवधि :

अध्ययन क्षेत्र में पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं के पलायन वर्ष का विवरण निम्नलिखित तालिका–05 में दर्शाया गया है–

तालिका–05

क्रम संख्या	पलायन की अवधि	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	2 वर्ष	11	11%
2	5 वर्ष से 7 वर्ष	33	33%
3	7 से 10 वर्ष	39	39%
4	10 वर्ष से अधिक	17	17%
कुल	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–05

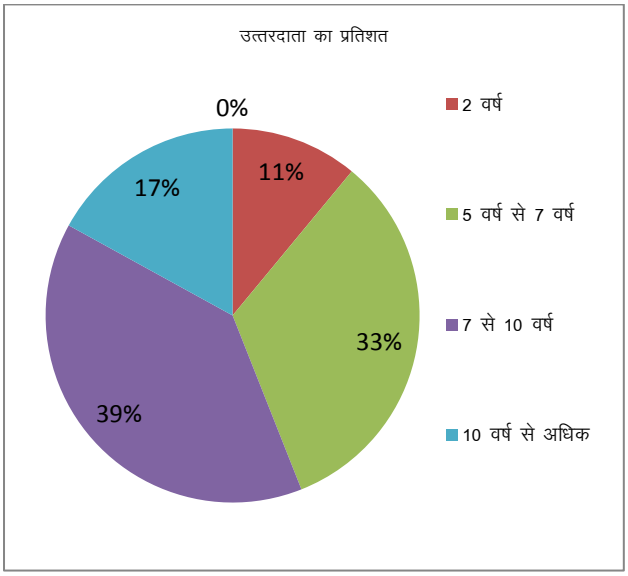

उपरोक्त विश्लेषण (तालिका एवं चार्ट–05) से यह स्पष्ट है कि कुल पलायन करनवाले उत्तरदाताओं में से 11 प्रतिशत लोग 2 वर्ष से पलायन कर रहे हैं। वहीं 33 प्रतिशत लगभग 5 से 7 वर्ष से पलायन कर रहे हैं। 39 प्रतिशत लोग 10 वर्ष से, 17 प्रतिशत लोग 10 वर्ष से अधिक समय से पलायन कर रहे हैं।

अतः अध्ययन में यह पाया गया है कि कुल उत्तरदाताओं में से अधिकांश 39 प्रतिशत उत्तरदाता 7 से 10 वर्ष से पलायन कर रहे हैं और 72 प्रतिशत उत्तरदाता 5 से 10 वर्षों से पलायन कर रहे हैं।

F. पलायन के कारण :

झारखंड़ में पलायन करने के कारणों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अतः निम्नलिखित तालिका–06 में झारखंड़ से पलायन करने कारणों से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शित किया गया है–

तालिका–06

क्रम संख्या	पलायन के कारण	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	काम या रोजगार के लिए	79	79%
2	व्यापार व वाणिज्य के लिए	09	09%
3	शिक्षा के लिए	03	03%
4	शादी के लिए यापति के प्रवास के कारण	02	02%
5	अन्य कारणों से	07	07%
कुल	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–06

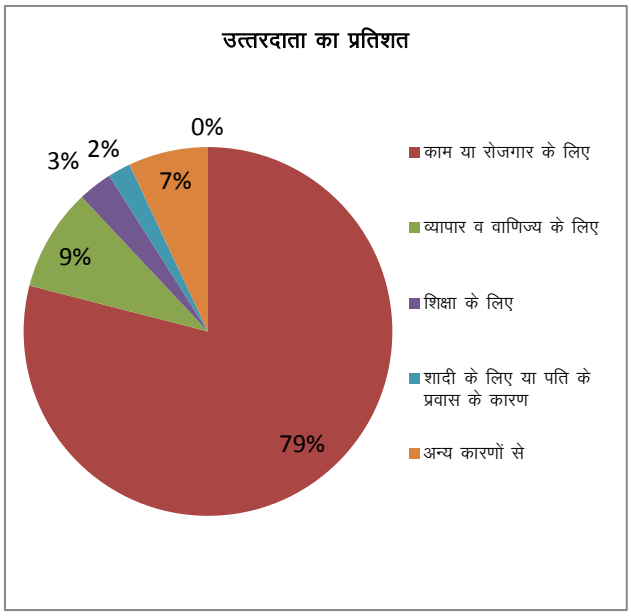

उपरोक्त विश्लेषण(तालिका एवं चार्ट–06) से यह स्पष्ट है कि कुल पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं में से 79 प्रतिशत उत्तरदाता काम या रोजगार की तालाश में पलायन करते हैं। वहीं 09 प्रतिशत व्यापार के लिए, 03 प्रतिशत शिक्षा के लिए, 02 प्रतिशत पति के साथ या शादी के लिए पलायन करते हैं और 07 प्रतिशत उत्तरदाता किसी अन्य कारणों से पलायन करते हैं।

अतः अध्ययन में यह पाया गया है कि अधिकांश उत्तरदाता काम या रोजगार की तालाश में पलायन करते हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

G. आय का स्तर :

उत्तरदाताओं की पलायन के पूर्व तथा पलायन के बाद की आय को निम्नलिखित तालिका–07 में दर्शाया गया है।

तालिका–07

आय का स्तर	पलयान के पूर्वआय का स्तर		पलायन के बादआय का स्तर	
	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिश त	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिश त
Rs. 10,000	56	56%	07	07%
RS.10,001-RS. 20,000	33	33%	41	41%
RS.20001-RS. 30,000	12	12%	32	32%
>RS.30,000	7	67%	20	20%
कुल	100	100%	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–07

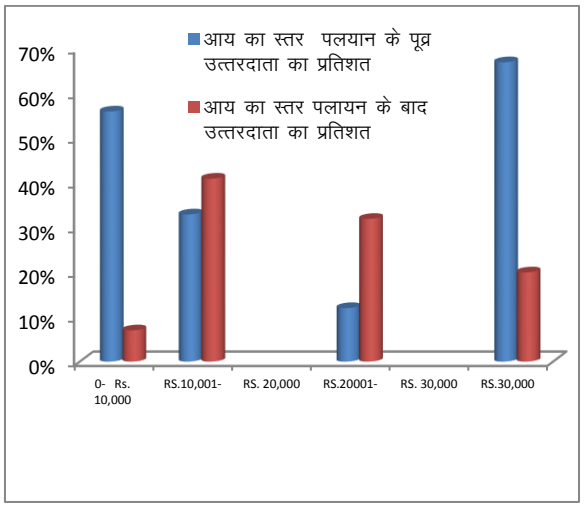

उपरोक्त तालिका एवं चार्ट–07 में पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं की पलायन करने से पहले तथा पलायन करने के बाद का आंकड़ा दिया गया है। तालिका–07 तथा चार्ट–07 से यह स्पष्ट है कि पलायन करने के पहले कुल उत्तरदाताओं में से 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 10,000 रूपये मासिक से कम थी। वहीं 33 प्रतिशत लोगों की मासिक आय 10,001 से 20,000 रूपये, 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 20,001 से 30,000 रूप्ये तथा 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 30,000 रूपये से अधिक थी।

वहीं पलायन करने के बाद 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 10,000 रूपये, 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 10,001 से 20,000 रूपये, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 20,001 रूपये से 30,000 रूपये तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 30,000 रूपये से अधिक थी।

अतः अध्ययन में यह पाया गया है कि पलायन करने के बाद उत्तरदाताओं की मासिक आय में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

H. व्यय का स्तर :

उत्तरदाताओं के पलायन के पूर्व तथा पलायन के पश्चात् व्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका–08 में दर्शाया गया है–

तालिका–08

व्यय का स्तर	पलयान के पूर्व व्यय का स्तर		पलयान के बाद व्यय का स्तर	
	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिश त	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिश त
Rs. 10,000	63	63%	09	09%
RS.10,00-RS. 20,000	22	22%	53	53%
RS.20001-RS. 30,000	12	12%	23	23%
>RS.30,000	3	3%	15	15%
कुल	100	100%	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–08

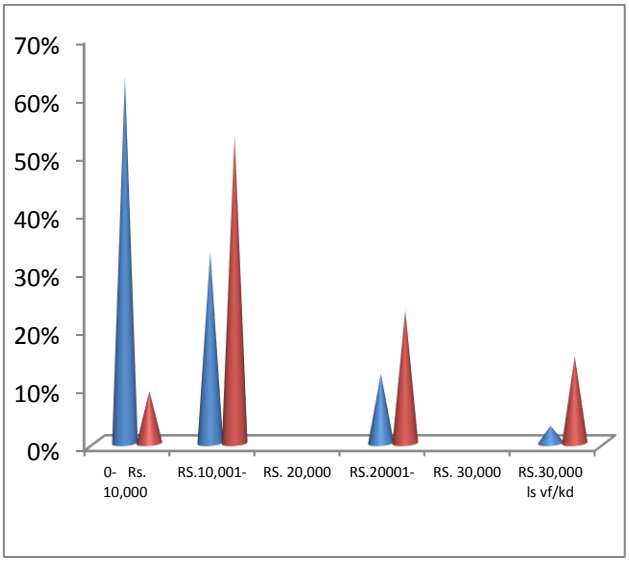

तालिका–08 में तथा चार्ट–08 में उत्तरदाताओं की पलायन के पूर्व तथा पलायन करने के पश्चात् उसके मासिक व्यय को प्रदर्शित किया गया हैं। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पलायन के पूर्व 10,000 रूपये तक मासिक व्यय करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 63 प्रतिशत, 10,001 रूपये से 20,000 रूपये तक मासिक खर्च करनेवाले 33 प्रतिशत उत्तरदाता, 20,001 रूपये से 30,000रूपये तक व्यय करनेवाले 12 प्रतिशत तथा 30,000 रूपये से अधिक मासिक व्यय करनेवाले उत्तरदाता हैं। जबकि पलायन करने के पश्चात् 09 प्रतिशत

RRIJM 2015, All Rights Reserved

उत्तरदाता 10,000 रूपये, 53 प्रतिशत उत्तरदाता 10001 से 20001 रूपये, 20001 से 30000 रूपये तक व्यय करनेवाले 23 प्रतिशत उत्तरदाता तथा 30,000 रूपये से अधिक की राशि मासिक व्यय करनवाले 15 प्रतिशत उत्तरदाता है।

अध्ययन में यह पाया गया है कि पलायन करने के पूर्व 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक व्यय 20,000 रूपये तक है। वहीं पलायन के बाद 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मासिक व्यय 30,000 रूपये तक है। अतः अध्ययन से शोधकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पलायन करने के पश्चात् उत्तरदाताओं की मासिक व्यय में वृद्धि उसकी उपभोग क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है।

I. बचत का स्तर :

पलायन के पूर्व तथा पलायन के पश्चात् उत्तरदाताओं की मासिक बचत का विवरण निम्नलिखित तालिका–09 में दर्शाया गया है–

तालिका–09

बचत का स्तर	पलायन के पूर्व बचत का स्तर		पलायन के बचत का स्तर	
	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
0 से 2,000 तक	72	72%	03	03%
2,001 से 5,000 तक	17	17%	17	17%
5,001 से 7,000 तक	6	6%	20	20%
7,001 से 10,000 तक	5	5%	29	29%
10,000 से अधिक	0	0	31	31
कुल	100	100%	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–09

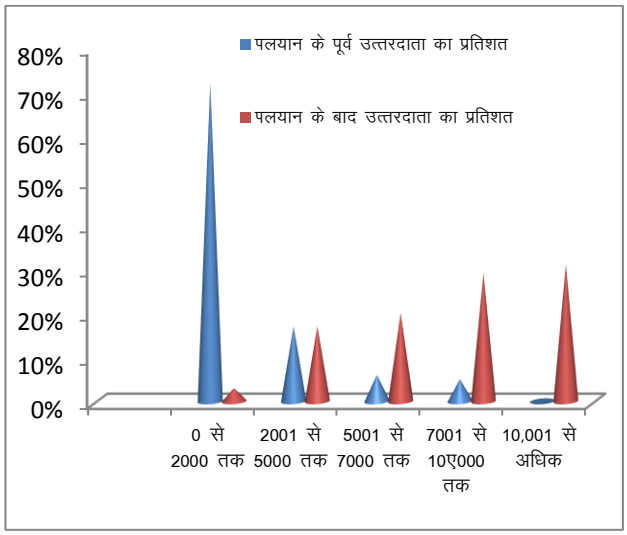

तालिका–09 में तथा चार्ट–09 में उत्तरदाताओं की पलायन के पूर्व तथा पलायन करने के पश्चात् उसके मासिक बचत को प्रदर्शित किया गया हैं। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पलायन के पूर्व 2000 रूपये तक मासिक बचत करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 72 प्रतिशत, 2001 रूपये से 5,000 रूपये तक खर्च करनेवाले 17 प्रतिशत उत्तरदाता, 5001 रूपये से 7000 रूपये तक मासिक बचत करनेवाले 6 प्रतिशत तथा 7,001 रूपये से 10,000 मासिक बचत करनेवाले 5 प्रतिशत तथा 10,00 रूपये से अधिक मासिक व्यय करनेवाले शून्य प्रतिशत उत्तरदाता हैं। जबकि पलायन करने के पश्चात् 3 प्रतिशत उत्तरदाता 2000 रूपये, 17 प्रतिशत उत्तरदाता 2001रू0 से 5000 रूपये, 5001रूपये से 7000 रूपये तक बचत करनेवाले 20 प्रतिशत उत्तरदाता तथा 7,001 रूपये से 10,000 रूपये की राशि की मासिक बचत करनेवाले 29 प्रतिशत तथा 10,000 रूपये से अधिक की राशि मासिक बचत करनवाले 31 प्रतिशत उत्तरदाता है।

अध्ययन में यह पाया गया है कि पलायन करने के पूर्व तथा पलायन के बाद उत्तरदाताओं की मासिक बचत में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

J. पलायन कोरोकने के साधन :

अध्ययन क्षेत्र में पलायन रोकने के विभिन्न सुझावों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका–10 में दिया गया है–

तालिका–10

क्रम संख्या	पलायन को रोकने के उपाय	उत्तरदाता की संख्या	उत्तरदाता का प्रतिशत
1	कृषि का आधुनिकीकरण और सिंचाई की व्यवस्था .	39	39%
2	औद्योगिक व वाणिज्य का विकास	53	53%
3	शिक्षा की पूर्णव्यवस्था	6	6%
4	कोई उपाय नहीं	2	2%
कुल	कुल	100	100%

(स्त्रोतः प्राथमिक डाटा)

चार्ट–10

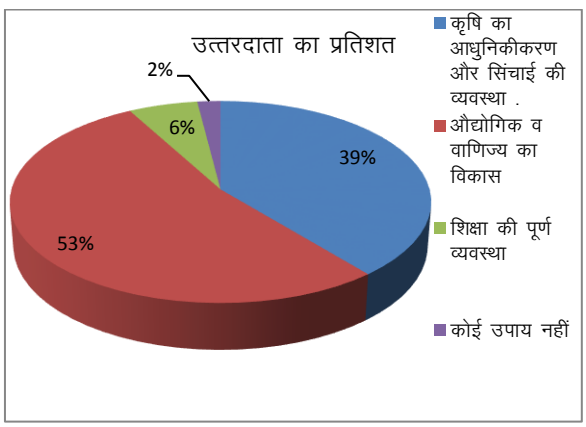

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका–10 में तथा चार्ट–10 में उत्तरदाताओं को पलायन को रोकने के लिए विभिन्न उत्तरों में से 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कृषि का आधुनिकीकरण तथा सिंचाई की व्यवस्था करने, 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देने, 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करने, का सुझाव दिया । वहीं 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता है।

अध्ययन से यह पाया गया कि कुल पलायन करनेवाले उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाताओं 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा तथा आधुनिकीकरण का सुझाव दिया है।

6. निष्कर्ष व सुझाव :

अध्ययन में शोधकर्त्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए राज्य के बाहर किसी अन्य प्रदेशों के विभिन्न शहरों आदि को पलायन करते हैं जिसमें अधिकांश विवाहित, 21 से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के, पुरूष लोग हैं। पलायन करनेवाले लोगों में अधिकांश 10वीं से कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश लोग 2 से लेकर 10 वर्षों से पलायन कर रहे हैं। पलायन करनेवाले लोगों की आय, व्यय तथा बचत पर पलायन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक ओर पलायन करनेवाले लोगों की आय में वृद्धि होने से उनकी उपभोग का स्तर बढ़ा है वहीं दूसरी ओर बचत स्तर में भी वृद्धि हुई हैं। ऐसे लोग पलायन करने से प्राप्त आय को अपने घरों में रह रहे लोगों को अपनी आय का एक हिस्सा भेजते हैं जिससे संबंधित राज्य के अन्य लोगों की उपभोग का स्तर भी बढ़ता है। ऐसे लेागों के परिवारों को स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर व्यय करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सत्य है कि पलायन करनेवाले श्रमिकों की पलायन करना मजबूरी है कोई पसंद नहीं है। यदि पलायन को रेाका नहीं गया तो राज्य में कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों के लिए योग्य मजदूरों की कमी हो सकती है जिससे श्रमिकों की लागत बढ़ सकती है। अतः सरकार के पलायन को रोकने के लिए कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था के साथ कृषि का आधुनिकीकरण तथा कृषि बाजार का विस्तार करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुमार एवं पाण्डेय(2018): ग्रामीणश्रमिकों का पलायनकारण एवंनिदान, Review of research, ISSN:2249-894X Vol.07 Issue-05 पृष्ठ संख्याः 1–5
2. Tudu and Michael(2018):out-migration of paharia tribal laourers from pakur district of Jharkhand: a case study, IJHSSI, vol.07 issue-08, ISSN(o):2319-7722, page no:25-28.
3. Tudu and Michael(2018): Migration of santhallabourers from Jharkhand: A case Study, IOSR-JHSS, E-ISSN:2279-0837. Vol.23 issue-12, page no:9-13.
4. Kumar (2012):Migrants economics of south chotanagpur of Jharkhand; an empirical study, JESD, vol.-08 issue-01 page no: 125-133.
5. Mishra(2007): Socio-Economic condition of workers in the tea gardens of jorhat Assam. Page no:1-101(researchgate.net).
6. Deogharia(2012): Seasonal migration of rural areas of Jharkhand in south chotanagpur region, JESD, vol.08 issue-01 pageno:50-58.
7. Bhagat and Kumar(2012):out- migration from bihar cause and consequence, JSES, vol.22 issue-02 page no:136-142.
8. Mishra &Puri(38th ed. 2020) Indian economics, Himalayas publishing house, Mumbai.

RRIJM 2015, All Rights Reserved